


राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: जेडीजेड/1120/एम.पी./भीनमाल दिनांक 22.06.2023

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत भीनमाल के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।


क्र. सं.	ग्राम का नाम	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	भीनमाल	BHINMAL	भीनमाल
2.	लेदरमेर	LEDARMER	भीनमाल
3.	नासोली	NASOLI	भीनमाल
4.	नरतां	NARTA	भीनमाल
5.	कुशलापुरा	KUSHLAPURA	भीनमाल
6.	जुजांणी	JUNJANI	भीनमाल
7.	भागलभीम	BHAGALBHEEM	भीनमाल
8.	निम्बावास	NIMBAWAS	भीनमाल
9.	निम्बोडा	NIMBODA	भीनमाल
10.	कावतरा	KAWATARA	बागोडा
11.	मीरपुरा	MEERPURA	बागोडा
12.	भादरड़ा	BHADARDA	जसवंतपुरा
13.	खाण्डा देवल	KHANDA DEWAL	जसवंतपुरा
14.	सावीधर	SAWIDHAR	जसवंतपुरा
15.	गजीपुरा	GAJIPURA	जसवंतपुरा
16.	कोडीटा	KODITA	जसवंतपुरा
17.	मणधर	MANDHAR	जसवंतपुरा
18.	पावली	PAWALI	जसवंतपुरा
19.	देलवाडा	DELWARA	जसवंतपुरा
20.	खानपुर	KHANPUR	जसवंतपुरा
21.	रोपसी	ROPASI	रानीवाड़ा
22.	धनवाडा	DHANWADA	रानीवाड़ा
23.	आलडी	ALRI	रानीवाड़ा

भीनमाल नगर का मास्टर प्लान-2041 (प्रारूप) के संबंध में राजस्थान राज पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर एवं नगर पालिका, भीनमाल को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। मास्टर प्लान-2041 के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि तक किसी भी कार्यदिवस में नगर पालिका, भीनमाल में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, भीनमाल से क्रय किये जा सकते हैं तथा मास्टर प्लान प्रारूप-2041 Website www.urban.rajasthan.gov.in/ ctp से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।


अति.मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जालोर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 22.06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑन-लाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल।
9. रक्षित पत्रावली।


अति.मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
राजस्थान, जयपुर